

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2015-अग्रहायण 6, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,

(म. प्र. शासन का उपक्रम)

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म. प्र.) 482008

जबलपुर, दिनांक 04 नवम्बर, 2015

क्रमांक/04-02/195/यो.रूपां./2870.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

- (1) **नाम:**—ये परियोजनायें 220 व 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.
- (2) **परियोजनाओं का विवरण:**—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

अ. उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा बजरंगगढ़, जिला सीधी में महान नदी पर पुल निर्माण के फलस्वरूप 220 के. व्ही. बिरसिंहपुर-रीवा लाईन को 220 के. व्ही. सीधी में लिलो हेतु 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का लोकेशन क्रमांक 62 से 65 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई-2×0.50 कि.मी., अनुमानित लागत-47.00 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सीधी से मेसर्स हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बरगवाँ, जिला सिंगरौली में स्थित महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट हेतु 220 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य, लंबाई-1×79.00 कि.मी., अनुमानित लागत-2560.85 लाख रु.

3. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र रतलाम से मेसर्स श्रवन्ती रतलाम एनर्जी प्रायवेट लिमि. के नौगाँव, जिला रतलाम में प्रस्तावित 96 मेगावाट पवन उर्जा विद्युत गृह तक 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×22.00 कि.मी., अनुमानित लागत-2390.00 लाख रु.
4. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बॉमोर से मेसर्स अम्बा शक्ति उद्योग लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, बॉमोर, जिला ग्वालियर को 25 मेगावाट अनुबंधित भार विद्युत आपूर्ति करने हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×1.00 कि.मी., अनुमानित लागत-224.84 लाख रु.
5. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र बड़नगर से मेसर्स ऑरेंज बेरछा विन्ड पॉवर प्रायवेट लिमि. (पूर्व में मे. नागा रिन्यूवल एण्ड इन्फ्रा प्रायवेट लिमि.) के बडनावर, जिला उज्जैन एवं ग्राम-लपटीआ, बेरछा, तहसील/जिला रतलाम में प्रस्तावित 50 मेगावाट पवन उर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×26.00 कि.मी., अनुमानित लागत-1640.31 लाख रु.
6. मध्यप्रदेश ग्रिड से संयोजन हेतु 220 के. व्ही. उपकेन्द्र बड़नगर जिला उज्जैन से मेसर्स सुजलॉन गुजरात विन्ड पार्क लिमिटेड इन्दौर (67.2 मेगावाट) एवं मेसर्स सरजन (25.2+74.8 मेगावाट, 100 मेगावाट तक सीमित) के ग्राम काड, तहसील बडनावर, जिला धार में प्रस्तावित पवन उर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×25.00 कि.मी., अनुमानित लागत-2175.04 लाख रु.
7. मध्यप्रदेश ग्रिड से संयोजन हेतु 220 के. व्ही. उपकेन्द्र धार से मेसर्स सुजलॉन गुजरात विन्ड पार्क लिमिटेड इन्दौर के ग्राम काड, तहसील बडनावर, जिला धार में प्रस्तावित 48.3 मेगावाट पवन उर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×46.00 कि.मी., अनुमानित लागत-2770.00 लाख रु.
8. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सुवासरा से मेसर्स पनामा विन्ड एनर्जी क्रिश्ना प्रायवेट लिमिटेड के तहसील शामगढ़, जिला मन्दासौर में प्रस्तावित 100 मेगावाट पवन उर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×4.00 कि.मी., अनुमानित लागत-330.00 लाख रु.
9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रा. रा. मा. क्र.-3 के ग्वालियर-शिवपुरी अनुभाग का 2-लेन से 4/6-लेन रोड में उन्नयन के फलस्वरूप 220 के. व्ही. बीना-शिवपुरी लाईन के लोके. क्र. 479 से 482 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.84 कि.मी., अनुमानित लागत-110.49 लाख रु.
10. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रा. रा. मा. क्र.-3 के ग्वालियर-शिवपुरी अनुभाग का 2-लेन से 4/6-लेन रोड में उन्नयन के फलस्वरूप 220 के. व्ही. बीना-शिवपुरी लाईन के लोके. क्र. 518 से 520 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.70 कि.मी., अनुमानित लागत-63.47 लाख रु.
11. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सिरमौर से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतिकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कषण विद्युत उपकेन्द्र दभौर, जिला रीवा को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×56.10 कि.मी., अनुमानित लागत-2083.00 लाख रु.
12. बुधनी में हवाई पट्टी के निर्माणार्थ 132 के. व्ही. डीसीडीएस होशंगाबाद-मण्डीदीप लाईन के लोके. क्र. 87 से 90 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×0.47 कि.मी., अनुमानित लागत-46.61 लाख रु.
13. बुधनी में हवाई पट्टी के निर्माणार्थ 132 के. व्ही. डीसीडीएस होशंगाबाद-खतपुरा/शाहगंज लाईन के लोके. क्र. 30 से 32 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1×0.49 कि.मी., अनुमानित लागत-28.35 लाख रु.

ब. महत्वपूर्ण विभागीय कार्य :

1. 220 के. व्ही. डीसीडीएस कटनी/मैहर-सतना (पीजीसीआईएल) लाईन के कटनी-सतना (पीजीसीआईएल) सर्किट को 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सतना में लिलो करने हेतु 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×0.83 कि.मी., अनुमानित लागत-154.00 लाख रु.
2. 132 के. व्ही. कुक्षी-जोबट डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×36 कि.मी., अनुमानित लागत-2054.00 लाख रु.

कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 163 करोड़ है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।

(4) एतद्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचारपत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

एस. एन. गोयल,

मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स)।

(449-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्णा पाठक पिता श्री एस. के. पाठक, उम्र 27 वर्ष, निवासी-337/4, उत्तर मिलौनीगंज, शांतिनगर, थाना गोहलपुर, जबलपुर (म.प्र.) शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरी दसवीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम पूर्णा देवी पाठक अंकित है, लेकिन उसके बाद बारवीं कक्षा, बी. ई. तथा एम. ई. की अंकसूचियों में मेरा नाम पूर्णा पाठक अंकित है। मैं, प्रसार भारती, दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ।

अतः अब आगे से मुझे पूर्णा पाठक के नाम से ही समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक रिकार्ड में जाना, पहचाना व लिखा जावे।

शपथकर्ता

(पूर्णा पाठक)

(450-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अन्जु पाटीदार पति श्री अरविन्द पाटीदार, उम्र 38 वर्ष, निवासी-304, आशीयाना एनक्लेव-14, एए, स्कीम नं. 54, इन्दौर (म.प्र.) शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि—

1. यह कि शादी पूर्व मेरा नाम फुलवती पिता बद्रीलाल (ग्राम, डीकेन, जिला नीमच) था।
2. यह कि मेरा विवाह श्री अरविन्द पाटीदार पिता श्री आत्माराम जी पाटीदार (मूल निवासी ग्राम जनकपुर, जिला नीमच) (म.प्र.) के साथ हुआ है।
3. यह कि विवाह के बाद से मैं अपने रिश्तेदारों व परिचितों में अन्जु पाटीदार के नाम से ही जानी व पहचानी जाती हूँ, परन्तु मेरे शैक्षणिक मतदाता परिचय-पत्र व अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम फुलवती व फुलवन्ती ही दर्ज है।
4. यह कि भविष्य में मुझे अन्जु पाटीदार पति अरविन्द पाटीदार के नाम से ही जाना-पहचाना जावे तथा सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अन्जु पाटीदार ही पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(फुलवती व फुलवन्ती)

(451-बी.)

नया नाम :

(अन्जु पाटीदार)

304, आशीयाना एनक्लेव,
14, एए, स्कीम नं. 54, इंदौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Salim Khan, here by declare that I have change my name as Salim Khan Mansuri. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(SALIM KHAN)

(455-B.)

New Name :

(SALIM KHAN MANSURI)

Add—Old-60/1, New-72, Marathi Mohalla,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्मला देवी पत्नी JC 47561 नायब सूबेदार स्व. श्री राजकिशोर श्रीवास्तव, उम्र 68 वर्ष पेंशनर, तहसील जौरा, जिला मुरैना में निवास करती हूँ मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में गलती से मेरा नाम विमला देवी दर्ज है जबकि मेरी अंकसूची, वोटरकार्ड नं. MP/01/004/228395, आधार कार्ड नं. 816979251721 व मेरे पति के बीमा सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम निर्मला देवी दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड व पी. पी. ओ. में भी मेरा नाम विमला देवी के स्थान पर निर्मला देवी लिखा व पढ़ा जावे. इससे पूर्व मैं मेरे पति ने अपने जीवित काल में मेरा नाम परिवर्तन करवाया था. जिसका पत्र क्रमांक 445/Gen/HA/1045/Adm/(Medal) 09 Dec, 1993 के द्वारा जारी हो चुका है. तोपखाना अभिलेख से सलाहकर यह विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जा रही है जो सही व सत्य है.

पुराना नाम :

(विमला देवी)

पत्नी राजकिशोर श्रीवास्तव

(452-बी.)

नया नाम :

(निर्मला देवी)

पत्नी राजकिशोर श्रीवास्तव
निवासी- JC 47561 तह. जौरा,
जिला मुरैना (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, मीरादेवी पत्नी श्री राधेश्याम सिंह, उम्र 42 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लुखरियाई पोस्ट सेंथरा बाढई, तहसील पोरसा, जिला मुरैना म.प्र. की होकर सत्य कथन करती हूँ कि मैं, शपथ से बयान करती हूँ कि मेरे बड़े पुत्र प्रदीप सिंह के दस्तावेजों में मेरा नाम कमलादेवी लिखा हुआ है जबकि मेरे छोटे पुत्र नितिन सिंह के दस्तावेजों में मेरा नाम मीरा लिखा हुआ है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं तथा दोनों नामों से ही मुझे पुकारा जाता है. जिस कारण दोनों पुत्रों के दस्तावेजों में अलग-अलग नाम अंकित हो गये हैं. यह कि उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं उक्त दोनों नाम की मेरे अलावा कोई दूसरी महिला नहीं है और ना ही मेरे अलावा किसी दूसरी महिला से मेरे पति श्री राधेश्याम की शादी हुई है. अतएव परिवर्तन नाम मीरा देवी किया जावे.

पुराना नाम :

(कमलादेवी)

(465-बी.)

नया नाम :

(मीरादेवी)

नाम परिवर्तन

शादी से पूर्व मेरा नाम मोनिका केशवानी था. शादी के बाद दीक्षा सूर्यवंशी हो गया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(मोनिका केशवानी)

(MONICA KESHWANI)

(456-बी.)

नया नाम :

(दीक्षा सूर्यवंशी)

(DEEKSHA SURYAVANSHI)

CHANGE OF NAME

I, Smt. Dhaani Kukreja W/o Mr. Mohit Kukreja, Age 25 years, Occupation-Job (Electronics Engineer), Residence-29, Sindh Vihar Colony, Nadi Gate, Lashkar, Gwalior I above named deponent do hereby solemnly affirm on oath as under.

That I married Mr. Mohit Kukreja on 10th December, 2012, before marriage I was known as Divya Jaiswani D/o Shri Nandlal Jaiswani, after marriage my name has changed to Smt. Dhaani Kukreja, and now I am known with the name Dhaani Kukreja.

That above statement is true to the best of my knowledge.

Old Name :

(DIVYA JAISWANI)

(458-B.)

New Name :

(DHAANI KUKREJA)

W/o Shri Mohit Kukreja,
Residence-29, Sindh Vihar Colony,
Nadi Gate, Lashkar, Gwalior.**CHANGE OF NAME**

I, Molly John 47 year old, W/o John Thomas K, R/o-H. No.-14, Agrawal Jewellers Sarafa Chowk, Bhopal (M.P.) 4620001 Previously known as Alice Joseph have changed my name to Molly John. Henceforth I will be known as Molly John.

Old Name :

(ALICE JOSEPH)

(461-B.)

New Name :

(MOLLY JOHN)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली मित्तल पत्नी श्री संजय मित्तल, निवासी-जी-2, ई-7/57, निरूपम रेसीडेंसी, लाल लाजपतराय सोसायटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, अंजना गुप्ता पुत्री श्री गणेश प्रसाद गुप्ता के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ। अब मेरे द्वारा नाम परिवर्तित कर अंजली मित्तल पत्नी श्री संजय मित्तल किया जाकर मैं इसी नाम से जानी-पहचानी जाऊँगी।

पुराना नाम :

(अंजना गुप्ता)

नया नाम :

(अंजली मित्तल)

पत्नी-श्री संजय मित्तल,

निवासी-जी-2, ई-7/57, निरूपम रेसीडेंसी,
लाल लाजपतराय सोसायटी, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.)

(462-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मे. मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन आज दिनांक 14-09-2015 से भागीदार क्रमांक-2 श्री इंद्रपाल सिंह लोधी एवं भागीदार क्रमांक-3 श्री महेश साहू फर्म से अलग हो रहे हैं एवं नए भागीदार क्रमांक-2 अभिलाषा पांडे पत्नि श्री अरूण कुमार पांडे, निवासी रायखेड़ा पोस्ट मुआर खास, तहसील देवरी, जिला सागर जुड़ रहे हैं।

M/s Mateshwari Construction

अरूण कुमार पांडे,

Raikheda, Distt. Sagar (M.P.)

(453-बी.)

सूचना

मे. संजय तिवारी एण्ड एसोसिएट्स जो कि फर्म एवं संस्थाएं रीवा संभाग रीवा में टी. सं. क्रमांक में दिनांक 24-03-2006 में रजिस्टर्ड है. फर्म के निम्न साझेदार द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति दिनांक 03-10-2015 को ली गई.

साझेदार का नाम

- संजय कुमार तिवारी,

पता

- 05/191, सोहागपुर, पाली रोड,
शहडोल (म.प्र.)

एवं निम्न साझेदार दिनांक 03-10-2015 को सामिल हुए है.

साझेदार का नाम

- बाल्मीक प्रसाद तिवारी,

पता

- 05/191, सोहागपुर, पाली रोड,
शहडोल (म.प्र.)

उक्त प्रकाशन सर्वजन सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है.

For :Sanjay Tiwari & Associates,

संदीप कुमार तिवारी

(Partner).

(454-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मेसर्स डिम्यल वेजीटेबल कम्पनी, जिसका पता-दुकान नम्बर-191, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी तेजपुर, गड़बड़ी, इन्दौर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0161/15, दिनांक 14-09-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री भागीरथ सुनेरिया पिता श्री छोटेलाल सुनेरिया, 2. श्री दिनेश माली पिता श्री रामकिशन माली, 3. श्रीमती संगीता माली पति श्री दिनेश माली थे. श्री भागीरथ सुनेरिया पिता श्री छोटेलाल सुनेरिया का देहावसान दिनांक 22 सितम्बर, 2003 को हो गया था. जिस कारण वह पृथक् हो गये हैं. उन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब उनकी जीवितवस्था में कर लिया था. अब फर्म मेसर्स डिम्यल वेजीटेबल कम्पनी से कोई लेना-देना नहीं है.

यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स डिम्यल वेजीटेबल कम्पनी,

1. श्री दिनेश माली पिता श्री रामकिशन माली,

2. श्रीमती संगीता माली पति श्री दिनेश माली,

(भागीदार).

(457-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स के. पी. टेक्नो जो कि रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00447/15, दिनांक 07-01-2015 पर पंजीयत फर्म है, जिसका वर्तमान पता-ई-05/75, अरेरा कॉलोनी, भोपाल है, भागीदारों (1) शरदचंद्र श्रीधर पटवर्धन आत्मज श्री श्रीधर पटवर्धन, (2) अजय पटवर्धन आत्मज श्री शरदचंद्र श्रीधर पटवर्धन, (3) श्री मनोज कुमार कोचकर आत्मज श्री सुभाष श्रीनिवास कोचकर, द्वारा दिनांक 01-07-2014 को मैसर्स के. पी. टेक्नो की नाम से भागीदारी फर्म का गठन किया गया था. संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 23-10-2015 के अनुसार उक्त फर्म में से शरदचंद्र श्रीधर पटवर्धन आत्मज श्री श्रीधर पटवर्धन स्वेच्छा से दिनांक 23-10-2015 को सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा भागीदार फर्म में दिनांक 23-10-2015 से (1) अजय पटवर्धन आत्मज श्री शरदचंद्र श्रीधर पटवर्धन, (2) श्री मनोज कुमार कोचकर आत्मज श्री सुभाष श्रीनिवास कोचकर बचे हैं. उपरोक्त दोनों भागीदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से उक्त फर्म के नाम से किसी भी प्रकार का लेन-देन संव्यवहार न करें.

प्रदीप कुमार शर्मा

(अधिवक्ता)

ए-48, अम्बेटकर कॉलोनी,
ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल.

(459-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स कृष्ण पुष्पा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, मध्यप्रदेश जो कि रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0128/15, दिनांक 26-06-2015 पर पंजीयत फर्म है, जो कि 01-08-2015 से (1) श्री राजेंद्र सिंह चौहान पुत्र श्री के. एस. चौहान, (2) श्री रूपेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, (3) श्रीमती नम्रता जैन पत्नी श्री मुकेश जैन, (4) श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, (5) श्री राजकुमार जैन पुत्र स्व. श्री भगवानदास जैन, (6) श्रीमती अमृता जैन पत्नी श्री रूपेश कुमार जैन, (7) श्रीमती चंदा जैन पत्नी श्री राजकुमार जैन की भागीदारी में संचालित की जा रही थी. दिनांक 02-11-2015 से श्री राजेंद्र सिंह चौहान पुत्र श्री के. एस. चौहान स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं. अतः दिनांक 02-11-2015 से भागीदारी फर्म (1) श्री रूपेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, (2) श्रीमती नम्रता जैन पत्नी श्री मुकेश जैन, (3) श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, (4) श्री राजकुमार जैन पुत्र स्व. श्री भगवानदास जैन, (5) श्रीमती अमृता जैन पत्नी श्री रूपेश कुमार जैन, (6) श्रीमती चंदा जैन पत्नी श्री राजकुमार जैन की भागीदारी में संचालित की जा रही है.

अनुराग श्रीवास्तव,

(अधिवक्ता)

ज्यूरिस कन्सल्टस लॉ फर्म.

(460-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी एक्ट 1932 की धारा-63 (1) के अधीन फर्म की रचना में परिवर्तन मे. एस. के. लोखण्डे फर्म में सम्मिलित भागीदार (1) हरिभाऊ लोखण्डे आ. बाबूराव, (2) शंकर लोखण्डे आ. हरिभाऊ दिनांक 04-04-2012 से उक्त फर्म में से सेवानिवृत्त होकर गठन से बाहर निकल गये हैं तथा उक्त फर्म में सम्मिलित भागीदार (3) श्रीराम लोखण्डे आ. बाबूराव, (4) सुखदेव लोखण्डे आ. बाबूराव फर्म में निरन्तर चालू रहेंगे एवं उपरोक्त परिवर्तन 04-04-2012 से लागू रहेगा.

मे. एस. के. लोखण्डे,

सुखदेव लोखण्डे

अ-श्रेणी ठेकेदार,

337/9-बी, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.).

(464-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सावित्री मिनरल्स पंजीयन क्रमांक 1847/1986-87, दिनांक 15-01-1987 को पंजीबद्ध की गई थी जिसमें चार भागीदार थे. (1) श्रीमती रेखा देवी पाठक पत्नी श्री अरूण कुमार पाठक, (2) आशीष कुमार पाठक, (3) श्री मनीष कुमार पाठक दोनों के पिता श्री अरूण कुमार पाठक एवं (4) श्री राम किशोर गर्ग पिता श्री राजाराम गर्ग यहकि, दिनांक 01-04-1990 को उपरोक्त भागीदारों में से श्री राम किशोर गर्ग पिता श्री राजाराम गर्ग उपरोक्त फर्म में से पृथक् हो गए एवं उनका फर्म की भागीदारी से सभी प्रकार का लेन-देन समाप्त हो गया एवं दिनांक 01-02-2011 को उपरोक्त फर्म में से श्रीमती रेखा देवी पाठक पत्नी श्री अरूण कुमार पाठक भी पृथक् हो गई एवं उपरोक्त फर्म में दो नये भागीदार जोड़े गये 1. श्री आनंद शर्मा पिता महावीर प्रसाद शर्मा एवं 2. श्री योगेश शर्मा पिता विजय कुमार शर्मा यह कि दिनांक 03-05-2012 को उपरोक्त फर्म में से दो भागीदार 1. श्री आशीष पाठक एवं श्री मनीष पाठक दोनों के पिता श्री अरूण कुमार पाठक भी उपरोक्त फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गए हैं. यहकि हाल मुकाम स्थिति में उपरोक्त फर्म में केवल दो ही भागीदारी है. 1. श्री आनंद शर्मा पिता महावीर प्रसाद शर्मा एवं 2. श्री योगेश शर्मा पिता श्री विजय कुमार शर्मा यह कि पंजीयन के समय उपरोक्त फर्म का मुख्य कार्यालय म. नं. 53, पाठक वार्ड, कटनी म.प्र. में

था जो कि दिनांक 01-02-2011 से 241/1 साकेत नगर, पोस्ट ऑफिस जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) हो गया एवं आज दिनांक तक इसी स्थान पर मुख्य कार्यालय स्थापित है यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

विकास नाथन,
(अधिवक्ता)

म.प्र. उच्च न्यायालय,
बंगला नं. 5, पदम का बाड़ा, बारेलाल चौक,
जबलपुर (म.प्र.).

(465-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर, जबलपुर

रा.प्र.क्र./1/बी-113(4)/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि आवेदक श्री नमिऊण पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मणिधारी ट्रस्ट प्रधान कार्यालय कुशल मंगल भवन लाल स्कूल के बगल में सदर, जबलपुर की ओर से ट्रस्टी श्री वर्धमान कोठारी आत्मज श्री प्रकाशचंद कोठारी एवं अन्य जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा आम जनता का सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को विचार के लिये नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम एवं पता | : | श्री नमिऊण पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मणिधारी ट्रस्ट प्रधान कार्यालय कुशल मंगल भवन लाल स्कूल के बगल में सदर जबलपुर. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | 22000/- (रुपये बाइस हजार मात्र) |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| जारी दिनांक | : | 03-11-2015 |

(582)

अरविंद सिंह,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

प्रारूप पाँच

नियम-11

वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन

क्र./2058/शोध-2/भू.उ./न.ग्रा.नि./2015.—सिरोंज योजना क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3(1) पृष्ठ क्रमांक 1376,

दिनांक 14 अगस्त, 2015 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 27 नवम्बर, 2015 से दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 तक कार्यालयीन समय के दौरान जनसामान्य के निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

1. कलेक्टर कार्यालय, जिला विदिशा
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सिरोंज, जिला विदिशा.
3. सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजीव नगर, विदिशा.

स्थान:-विदिशा

दिनांक-16 नवम्बर, 2015

(595)

आर. सी. सेन,
सहायक संचालक.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, सीधी

सीधी, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

क्रमांक/मा.चि./510.—नीचे दी गई आकृति का पासिंग हैमर वन परिक्षेत्र मझौली वीट रतवार बीटगार्ड श्री वेद प्रकाश शर्मा, वन रक्षक को आर. डी. एफ. चुनगुना कूप नं. III कक्ष क्रमांक आर-1253, आर-1268 रकबा 42.127 हे. के कार्य सम्पादन हेतु दिया गया था. उप वनमण्डलाधिकारी मझौली के पत्र क्र./1700, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पासिंग हैमर श्री वेद प्रकाश शर्मा, वनरक्षक बीट गार्ड रतवार से गुम गया है. जिसकी रिपोर्ट थाना मझौली में दिनांक 01 जून, 2015 को दर्ज कराई गई एवं पासिंग हैमर के खोजवीन के समस्त प्रयास असफल रहे.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे दर्शित आकृति का गुमशुदा पासिंग हैमर को अपलेखित किया जाता है.



उक्त पासिंग हैमर की कीमत रुपये 855.00 श्री वेद प्रकाश शर्मा, वनरक्षक बीट गार्ड रतवार से एक मुश्त वसूल किये जाने का आदेश दिया जात है तथा कार्य में लापरवाही वरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

इसके अतिरिक्त सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर कहीं मिले तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित किया जावे. यदि उपरोक्त हैमर को कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से रखे हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम एवं दण्ड विधान के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी.

(583)

वाय. पी. सिंह,
वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

केदार नाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी.डब्ल्यू. आर./195, दिनांक 18 अगस्त, 2002 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से, उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1406, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 10 सितम्बर, 2015 के परीक्षण उपरांत साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-1716, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 द्वारा पुनः साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुति हेतु दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 नियत कर अवसर, प्रदान किया गया. उक्त दिनांक को संस्था अध्यक्ष के स्थान पर उनके पिता श्री आर. पी. शर्मा उपस्थित हुए

बैधानिक रूप से संस्था के प्रतिनिधि के रूप से उनकी उपस्थिति मान्य न होने के कारण श्री शर्मा द्वारा अध्यक्ष के माध्यम से साक्ष्य/अभिलेख की उपस्थिति हेतु 15 दिवस का समय चाहे जाने पर उक्त समय प्रदान किया गया किन्तु आदेश दिनांक तक संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन/साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः संस्था द्वारा समय पर अंकेक्षण न कराये जाने, नियमित रूप से आम सभा आयोजित न की जाने एवं निर्धारित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत न किये जाने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत केदार नाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

(584)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जिला छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | परवीन खाद-बीज महिला विपणन सहकारिता मर्या., खजुराहो मु. राजनगर | 07/31-03-2004 | 1358/23-09-2015 |
| 2. | छत्रसाल फल-फूल-बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., गहरवार. | 1117/09-08-2007 | 1357/23-09-2015 |
| 3. | बालाजी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पहाड़गाँव. | 1104/12-01-2007 | 1356/23-09-2015 |
| 4. | अन्नपूर्णा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., छतरपुर. | 887/12-01-2007 | 1355/23-09-2015 |
| 5. | नागरिक सहकारी समिति मर्या., बरायचखेरा | 1188/26-08-2008 | 1354/23-09-2015 |
| 6. | श्री श्री 1008 चतुर्भुज सरकार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धामची. | 1177/16-07-2008 | 1353/23-09-2015 |
| 7. | ऋषि साग-सब्जी-बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., बिलेहरी. | 1131/31-10-2007 | 1352/23-09-2015 |
| 8. | आदर्श जनजाति वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़ | 41/16-12-1973 | 1351/23-09-2015 |
| 9. | माँ अन्नपूर्णा महिला साख सहकारी समिति मर्या., छतरपुर | 905/30-10-2001 | 1350/23-09-2015 |
| 10. | हरिजन श्रम ठेका एवं भवन निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर. | 949/24-09-2002 | 1349/23-09-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 11. | जटाशंकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अनगौर. | 1106/10-03-2007 | 1368/23-09-2015 |
| 12. | चन्देल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धौरी. | 1105/22-02-2007 | 1367/23-09-2015 |
| 13. | शिक्षा विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., छतरपुर. | 1073/01-09-1975 | 1369/23-09-2015 |
| 14. | खुशबू ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राजनगर | 917/26-03-2002 | 1366/23-09-2015 |
| 15. | एकता नागरिक सहकारी समिति मर्या., राजनगर | 1182/26-08-2008 | 1365/23-09-2015 |
| 16. | जनहित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजनगर. | 1237/05-06-2009 | 1364/23-09-2015 |
| 17. | समीक्षा ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर | 29/10-10-2004 | 1363/23-09-2015 |
| 18. | दीपका ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर | 22/23-09-2004 | 1362/23-09-2015 |
| 19. | मोनिका ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर | 21/23-08-2004 | 1361/23-09-2015 |
| 20. | नागरिक स्वायत्त सहकारिता मर्या., बक्स्वाहा | 05/05-03-2004 | 1360/23-09-2015 |
| 21. | माँ झनझन देवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर. | 17/30-09-2007 | 1359/23-09-2015 |

अतः मध्यप्रदेश सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण पत्र के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधिन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(578)

आर. सी. अग्रवाला,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2728.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 143, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा संत परमहंस श्रमिक सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 28 मई, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौरसिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(585)

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2729.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 143, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा आदर्श भारत सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1503, दिनांक 09 अप्रैल, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौरसिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(585-A)

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2730.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 264, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा श्री ग्राम स्वराज खनिज सहकारी संस्था मर्या., जीवनखेड़ी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1431, दिनांक 03 अक्टूबर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौरसिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(585-B)

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2731.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरसिगा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 30 नवम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(585-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2072.—परिसमापन समिति दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खारदा, पंजीयन क्रमांक 2847, दिनांक 28 मई, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/15/177, दिनांक 30 जनवरी, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एस. सोलंकी, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2015 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मंडल के नाम प्रस्तावित किये हैं। मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है। तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खारदा, पंजीयन क्रमांक 2847, दिनांक 28 मई, 2005 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/15/177, दिनांक 30 जनवरी, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ। संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मंडल का अनुमोदन किया जाता है। संस्था का निर्वाचन समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करें :-

| क्रमांक | संचालक सदस्य का नाम | पद |
|---------|------------------------|-----------|
| 1. | श्री हरचन्द्र जाट | अध्यक्ष |
| 2. | श्री मनोज कुमार यादव | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती त्रवेणीबाई | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्री मुरतसिंह यादव | सदस्य |
| 5. | श्री सुरेश कुमार यादव | सदस्य |
| 6. | श्री ब्रजेश कुमार यादव | सदस्य |
| 7. | श्री मनोहर व्यास | सदस्य |
| 8. | श्री मोतीलाल मवासी | सदस्य |
| 9. | श्री आशीष यादव | सदस्य |

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(586)

होशंगाबाद, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3100.—यह कि म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त है पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक के स्थान पर श्री जी. पी. गहलोद, सहकारी निरीक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | परि. डॉ. अम्बेडकर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इटारसी | 2467/08-01-1995 | 337/07-03-2015 |

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(587)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3101.—जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 18, दिनांक 16 अगस्त, 1966 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के आदेश क्रमांक/परिसमापन/97/1096, दिनांक 10 जून, 1997 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया. कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/97/1209, दिनांक 25 जून, 1997 से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया. इसके पश्चात् यथा समया परिसमापक परिवर्तित होते रहे हैं. आद्यतन संशोधित कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/2055, होशंगाबाद, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 से श्री जी. पी. गहलौत, सहकारी निरीक्षक, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को सदस्यों की आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत् प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया. परिसमापक द्वारा आम सभा दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के कार्यवाही विवरण सहित प्रस्ताव ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुसंधान की गई. साथ ही विधिवत् कार्यसंचालन हेतु संस्था के नामांकित संचालक मंडल के सदस्यों के नाम भी प्रस्तावित किये हैं. परिसमापक द्वारा भण्डार के वर्ष 2014-2015 के वित्तीय पत्रक तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अवलोकन तथा आम सभा के निर्णय से मेरा यह समाधान होता है कि भण्डार को पुनर्जीवित कर अस्तित्व में बनाये रखना उचित है. तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 18, दिनांक 16 अगस्त, 1966 के परिसमापन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/97/1096, दिनांक 10 जून, 1997 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित संचालक मण्डल को नामांकित करता हूँ :—

| क्रमांक | नामांकित संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम | पद |
|---------|---|-----------|
| 1. | श्री प्रकाश पिता श्री महेश तिवारी, होशंगाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती ज्योति पति श्री जितेन्द्र यादव, होशंगाबाद | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री जामिन अली पिता एस. एम. अली, होशंगाबाद | सचिव |
| 4. | श्री जगदीश पिता हरी राम राठौर, होशंगाबाद | सदस्य |
| 5. | श्री रमेश पिता श्री चौधमल खण्डेलवाल, बाबई | सदस्य |
| 6. | श्री संतोष पिता कन्हैयालाल, बाबई | सदस्य |
| 7. | श्रीमती रामबाई पति श्री कोमल कीर, होशंगाबाद | सदस्य |
| 8. | श्रीमती रजनी पति ओ. पी. शर्मा, रायपुर | सदस्य |
| 9. | श्री कमल पिता लक्ष्मीनारायण मालवीय | सदस्य |
| 10. | श्रीमती मोहनी पति श्री हीरालाल शर्मा | सदस्य |
| 11. | श्रीमती ममता पति प्रमोद तिवारी, होशंगाबाद | सदस्य |

नामांकित संचालक मण्डल भण्डार के पुनर्जीवित करने की दिनांक से तीन माह के भीतर संचालक मण्डल का निर्वाचन करवें. उक्त आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(587-A)

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1282, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा आदिवासी खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., टूडा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर. पी.एन.ए./384, दिनांक 20 मई, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अतः संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना. एतद्द्वारा आदिवासी खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., टूडा, तहसील शाहगगर, जिला पन्ना (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एस. आठिया,
सहायक-पंजीयक.

(588)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1772, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाऊकुंड, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./396, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाऊकुंड, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाऊकुंड, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./396, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./402, दिनांक 23 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./402, दिनांक 23 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589-A)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/985, विदिशा, दिनांक 01 अगस्त, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भिदवासन, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./393, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भिदवासन, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भिदवासन, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./393, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(589-B)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/989, विदिशा, दिनांक 01 अगस्त, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छीरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./370, दिनांक 03 अगस्त, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छीरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छीरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./370, दिनांक 03 अगस्त, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(589-C)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/606, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागपिपरिया, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./394, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. उपाध्याय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागपिपरिया, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागपिपरिया, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./394, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(589-D)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारी संस्था मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—निम्न लिखित संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | परिसमापित संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्रीकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकपाटनी | 913/27-03-2014 | 769/07-08-2015 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये सम्बन्धित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में सम्बद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. सोनी,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(590)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग, मुरैना

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जन-धन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी,

लिमिटेड-मुरैना.

यह कि जन-धन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, लिमिटेड-मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/जे.आर./एम.एन.ए./08, दिनांक 28 जनवरी, 2015 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में निम्न आरोप हैं—

1. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह शेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य कर रही है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं कर रही है.
2. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बन्द कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, एच. एम. सिंघल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग, मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बावत् में दिनांक 20 नवम्बर, 2015 तक लिखित में टोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एच. एम. सिंघल,
संयुक्त पंजीयक.

(591)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सतना

दिनांक 26 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1181.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./15/955, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 द्वारा विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., रामनगर (पंजीयन क्रमांक 791, दिनांक 01 मई, 2013) जिसे आगे केवल संस्था सम्बोधित किया गया है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये कारण बताओ सूचन-पत्र जारी किया गया था-

1. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2015/467, दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा समिति कार्यक्षेत्र अंतर्गत कम से कम 05 कृषि साख सहकारी समितियों को सदस्य बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। संस्था कृषि साख समितियों को बनाने में असफल रही है।
2. संस्था में अध्यक्ष/संचालक मण्डल पंजीयन दिनांक से छह माह की अवधि के लिये नामांकित था। संस्था का पंजीयन हुये दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
3. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें संस्था की उपविधि के अनुसार नहीं की गई हैं।
4. निर्वाचन प्राधिकारी के पत्र क्रमांक/सह.नि.प्रा./2014/4411, दिनांक 28 जुलाई, 2014 द्वारा कृषि साख सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की सूची निर्धारित प्रारूप छः एक में चाही गई थी। संस्था प्रस्तुत करने में असफल रही है।

संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत करें।

संस्था अध्यक्ष द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 में लेख किया गया है कि निर्वाचन प्रस्ताव के साथ 05 साख समितियों की सूची प्रस्तुत कर दी गई है, परीक्षण में पाया गया कि जिन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के नाम सूची में सम्मिलित किये गये हैं, वे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 तक किसी भी प्रकार से विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., रामनगर की सदस्य नहीं बनी हैं। प्रस्तुत जवाब झूठा व कूटरचित है। बिन्दु क्रमांक 2, 3 एवं 4 के सम्बन्ध में समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं हुआ। इसी प्रकार आमसभा के सम्बन्ध में लेख किया है कि वार्षिक आमसभा का आयोजन समय-2 पर किया गया है, किन्तु उत्तर के साथ आमसभा की कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, इससे प्रमाणित होता है कि संस्था की वार्षिक आमसभा नहीं बुलाई गई है, कार्यालय में गलत जानकारी दी गई है। अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2015/1094 सतना, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 से संस्था को संस्था के 'क' एवं 'ख' वर्ग के सदस्यों के आवेदन-पत्र, सदस्य पंजी, कार्यवाही पंजी तथा अद्यतन कैशबुक परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। संस्था द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के पदाधिकारियों की संस्था संचालन में रुचि नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., रामनगर पंजीयन क्रमांक 791, दिनांक 01 मई, 2013 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सतना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(592)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/414, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा (पं. क्र. 740, दिनांक 20 मार्च, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/343, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर (पं. क्र. 700, दिनांक 05 मई, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

आर. पी. पाल,

उप-रजिस्ट्रार

(592-B)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2015-अग्रहायण 6, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है :—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, मुरैना, सबलगढ़ (मुरैना), विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, मिहोना (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), सेंवड़ा (दतिया), करैरा (शिवपुरी), लवकुशनगर, नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), अमरपाटन (सतना), मऊगंज, हनुमना (रीवा), जेतहरी (अनूपपुर) मानपुर (उमरिया) चुरहट, कुसमी (सीधी), मेघनगर, पेटलावाद (झाबुआ), कटनी, रीठी, बड़वारा, बरही (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील जौरा (मुरैना), लहार (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हारा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई (पन्ना), रघुराजनगर, मझगावां, रामपुरबघेलान, नागौद (सतना), त्योंथर, हुजूर, गुढ़, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, बुढ़ार, जैसिहनगर, गोहपारू (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), मझोली, रामपुरनैकिन (सीधी), थोंदला, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), सीहोरा (जबलपुर), विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा (कटनी), केवलारी (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कैलारस (मुरैना), ग्वालियर (ग्वालियर), नरवर (शिवपुरी), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), बक्स्वाहा (छतरपुर), उचेहरा, रामनगर, मैहर (सतना), ब्यौहारी (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गोपदवनास (सीधी), सेंधवा (बडवानी) तामिया (छिन्दवाड़ा), लखनादौन, घन्सौर (सिवनी), लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल (श्योपुर), घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), गुना, बमोरी, आरोन (गुना), ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार (छतरपुर), बिरसिंहपुर (सतना), सिरमोर (रीवा), जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), सिहावल (सीधी), धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी (धार) बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, निवाली (बड़वानी), बैरसिया, वैरागढ़ (भोपाल), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), पाटन, जबलपुर,

मझौली, कुंडम (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, घनोरा, छपारा (सिवनी), बेहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील राधौगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), बदनावर, सरदारपुर, डही (धार), पाटी (बड़वानी), गोहरगंज (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी व बालाघाट में जुताई व धान रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला सिंगरौली में कोंदो, तुअर, ज्वार, तिल व डिण्डोरी में सोयाबीन, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी व कटनी में तिल, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगौन, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बड़वानी, जबलपुर, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2015

| जिला/तहसीलें | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगाड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|-------------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जिला मुरैना : | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 1. अम्बाह | 2.0 | | | | |
| 2. पोरसा | .. | | | | |
| 3. मुरैना | 12.3 | | | | |
| 4. जौरा | 18.0 | | | | |
| 5. सबलगढ़ | 12.0 | | | | |
| 6. कैलारस | 40.0 | | | | |
| जिला श्योपुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूंग सुधरी हुई. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | 113.0 | | | | |
| 2. कराहल | 94.4 | | | | |
| 3. विजयपुर. | 9.0 | | | | |
| जिला भिण्ड : | मिलीमीटर | 2. ... | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. अटेर | 9.0 | | | | |
| 2. भिण्ड | 3.0 | | | | |
| 3. गोहद | 5.0 | | | | |
| 4. मेहगांव | 15.0 | | | | |
| 5. लहार | 22.0 | | | | |
| 6. मिहोना } 7. रौन } | 7.0 | | | | |
| जिला ग्वालियर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | 40.7 | | | | |
| 2. डबरा | 13.3 | | | | |
| 3. भितरवार | 18.4 | | | | |
| 4. घाटीगांव | 60.0 | | | | |
| जिला दतिया : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सेंवड़ा | 11.0 | | | | |
| 2. दतिया | 32.0 | | | | |
| 3. भाण्डेर | 18.0 | | | | |
| जिला शिवपुरी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | 61.0 | | | | |
| 2. पिछोर | 64.0 | | | | |
| 3. खनियाधाना | 55.0 | | | | |
| 4. नरवर | 41.0 | | | | |
| 5. करैरा | 12.5 | | | | |
| 6. कोलारस | 107.0 | | | | |
| 7. पोहरी | 192.0 | | | | |
| 8. बदरवास | 117.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|----------|---|---|----------------|--------------|
| *जिला अशोकनगर: | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. मुँगावली | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. ईसागढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 3. अशोकनगर | .. | | | | |
| 4. चन्देरी | .. | | | | |
| 5. शादौरा | .. | | | | |
| जिला गुना : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | 147.8 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. राघोगढ़ | 281.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बमोरी | 200.0 | | | | |
| 4. आरोन | 173.0 | | | | |
| 5. चाचौड़ा | 446.0 | | | | |
| 6. कुम्भराज | 349.0 | | | | |
| जिला टीकमगढ़ : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | 31.0 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिली, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | 34.0 | | मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | 19.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. टीकमगढ़ | 23.0 | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | 44.0 | | | | |
| 6. पलेरा | 26.0 | | | | |
| 7. ओरछा | 63.0 | | | | |
| जिला छतरपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लवकुशनगर | 15.0 | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | 72.0 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | 6.8 | | | | |
| 4. छतरपुर | 17.0 | | | | |
| 5. राजनगर | 24.4 | | | | |
| 6. बिजावर | 30.0 | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | 18.4 | | | | |
| 8. बक्सवाहा | 38.8 | | | | |
| जिला पन्ना : | मिलीमीटर | 2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. अजयगढ़ | 19.9 | | 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | 31.1 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | 27.0 | | | | |
| 4. पवई | 29.0 | | | | |
| 5. शाहनगर | 4.0 | | | | |
| जिला सागर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | .. | | 4. (1) धान, मक्का, कोंदो, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | .. | | | | |
| 4. सागर | .. | | | | |
| 5. रेहली | .. | | | | |
| 6. देवरी | .. | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | .. | | | | |
| 8. राहतगढ़ | .. | | | | |
| 9. केसली | .. | | | | |
| 10. मालथोन | .. | | | | |
| 11. शाहगढ़ | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|----------|---|--|----------------|--------------|
| *जिला दमोह : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. हटा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. बटियागढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 3. दमोह | .. | | | | |
| 4. पथरिया | .. | | | | |
| 5. जवेरा | .. | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | .. | | | | |
| 7. पटेरा | .. | | | | |
| जिला सतना : | मिलीमीटर | 2. धान की रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रघुराजनगर | 23.9 | | 4. (1) सोयाबीन अधिक. धान कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | 20.0 | | तिल, उड़द, तुअर समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. रामपुर-बधेलान | 20.0 | | (2) .. | | |
| 4. नागौद | 29.2 | | | | |
| 5. उचेहरा | 39.0 | | | | |
| 6. अमरपाटन | 5.0 | | | | |
| 7. रामनगर | 49.0 | | | | |
| 8. मैहर | 51.0 | | | | |
| 9. बिरसिहपुर | 122.0 | | | | |
| जिला रीवा : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्योंथर | 24.2 | | 4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तुअर कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | 73.2 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | 6.0 | | | | |
| 4. हनुमना | 9.5 | | | | |
| 5. हजूर | 22.4 | | | | |
| 6. गुढ़ | 34.0 | | | | |
| 7. रायपुरकर्चुलियान | 27.0 | | | | |
| जिला शहडोल : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | 30.0 | | 4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, तुअर कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | 40.0 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बुढार | 25.4 | | | | |
| 4. जैसिंहनगर | 31.0 | | | | |
| 5. गोहपास | 20.0 | | | | |
| 6. जैतपुर | 110.0 | | | | |
| जिला अनूपपुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | 17.0 | | 4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोदो-कुटकी कम. मक्का समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | 73.3 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कोतमा | 37.3 | | | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 34.1 | | | | |
| जिला उमरिया : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | 23.6 | | 4. (1) मक्का अधिक. धान, सोयाबीन, तिल, उड़द कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | 36.5 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मानपुर | 4.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|----------|---|--|--|------------------------------|
| जिला सीधी : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार, मक्का कम. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 1. गोपदवनास | 46.6 | | | | |
| 2. सिंहावल | 75.0 | | | | |
| 3. मझौली | 17.8 | | | | |
| 4. कुसमी | 4.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 17.3 | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | 34.4 | | | | |
| जिला सिंगरौली : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं धान, कोदों, तुअर, ज्वार, तिल की बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. धान, तुअर, ज्वार, कोदों, उड़द, मूँग, तिल समान. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी | .. | | | | |
| 2. देवसर | .. | | | | |
| 3. सिंगरौली | .. | | | | |
| जिला मन्दासौर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) सोया अधिक. मक्का कम. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 1. सुवासरा-टप्पा | .. | | | | |
| 2. भानपुरा | .. | | | | |
| 3. मल्हारगढ़ | .. | | | | |
| 4. गरोठ | .. | | | | |
| 5. मन्दासौर | .. | | | | |
| 6. श्यामगढ़ | .. | | | | |
| 7. सीतामऊ | .. | | | | |
| 8. धुन्धड़का | .. | | | | |
| 9. संजीत | .. | | | | |
| 10. कयामपुर | .. | | | | |
| जिला नीमच : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम. उड़द समान. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. जावद | .. | | | | |
| 2. नीमच | .. | | | | |
| 3. मनासा | .. | | | | |
| जिला रतलाम : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | .. | | | | |
| 2. आलोट | .. | | | | |
| 3. सैलाना | .. | | | | |
| 4. बाजना | .. | | | | |
| 5. पिपलौदा | .. | | | | |
| 6. रतलाम | .. | | | | |
| जिला उज्जैन : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | .. | | | | |
| 2. महिदपुर | .. | | | | |
| 3. तराना | .. | | | | |
| 4. घटिया | .. | | | | |
| 5. उज्जैन | .. | | | | |
| 6. बड़नगर | .. | | | | |
| 7. नागदा | .. | | | | |
| जिला आगर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 1. बड़ौद | .. | | | | |
| 2. सुसनेर | .. | | | | |
| 3. नलखेड़ा | .. | | | | |
| 4. आगर | .. | | | | |
| जिला शाजापुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. मो. बड़ोदिया | .. | | | | |
| 2. शाजापुर | .. | | | | |
| 3. शुजालपुर | .. | | | | |
| 4. कालापीपल | .. | | | | |
| 5. गुलाना | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|----------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
| जिला देवास : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | .. | | | | |
| 4. बागली | .. | | | | |
| 5. कन्नौद | .. | | | | |
| 6. खातेगांव | .. | | | | |
| जिला झाबुआ : | मिलीमीटर | 2. धान की रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. थांदला | 25.0 | | 4. (1) उड़द कम. मक्का, सोयाबीन, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | 10.0 | | कपास, मूंगफली, धान समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | 17.0 | | (2) .. | | |
| 4. झाबुआ | 33.7 | | | | |
| 5. राणापुर | 25.0 | | | | |
| जिला अलीराजपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जोवट | .. | | 4. (1) मक्का, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | .. | | अधिक. ज्वार, बाजरा, कपास कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कट्टीवाड़ा | .. | | (2) .. | | |
| 4. सोण्डवा | .. | | | | |
| 5. भामरा | .. | | | | |
| जिला धार : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. बदनावर | 276.3 | | 4. (1) गन्ना अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | 394.0 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. धार | 215.0 | | | | |
| 4. कुक्षी | 215.1 | | | | |
| 5. मनावर | 229.0 | | | | |
| 6. धरमपुरी | 165.0 | | | | |
| 7. गंधवानी | 179.0 | | | | |
| 8. डही | 261.0 | | | | |
| जिला इन्दौर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | .. | | | | |
| 4. महु | .. | | | | |
| (डॉ. अम्बेडकरनगर) | | | | | |
| जिला खरगौन : | मिलीमीटर | 2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | .. | | 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | .. | | अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सेगांव | .. | | धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. | | |
| 4. खरगौन | .. | | (2) .. | | |
| 5. गोगावां | .. | | | | |
| 6. कसरावद | .. | | | | |
| 7. भगवानपुरा | .. | | | | |
| 8. भीकनगांव | .. | | | | |
| 9. झिरन्या | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| जिला बड़वानी : | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी | 72.2 | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. .. |
| 2. ठीकरी | 106.0 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजपुर | 80.0 | | | | |
| 4. सेंधवा | 47.0 | | | | |
| 5. पानसेमल | 129.0 | | | | |
| 6. पाटी | 296.0 | | | | |
| 7. निवाली | 132.0 | | | | |
| *जिला खण्डवा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. खण्डवा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. पंधाना | .. | | (2) .. | | |
| 3. हरसूद | .. | | | | |
| जिला बुरहानपुर : | मिलीमीटर | 2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | .. | | 4. (1) कपास, मूंगफली. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | .. | | | | |
| *जिला राजगढ़ : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. जीरापुर | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. खिलचीपुर | .. | | (2) .. | | |
| 3. राजगढ़ | .. | | | | |
| 4. ब्यावरा | .. | | | | |
| 5. सारंगपुर | .. | | | | |
| 6. पचोर | .. | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | .. | | | | |
| *जिला विदिशा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. लटेरी | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. सिरोंज | .. | | (2) .. | | |
| 3. कुरवाई | .. | | | | |
| 4. बासौदा | .. | | | | |
| 5. नटेरन | .. | | | | |
| 6. विदिशा | .. | | | | |
| 7. गुलाबगंज | .. | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | .. | | | | |
| जिला भोपाल : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | 91.24 | | 4. (1) सोयाबीन, मूंग, मक्का, मूंगफली, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बैरागढ़ | 190.31 | | तुअर, धान, ज्वार अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| | | | (2) .. | | |
| जिला सीहोर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. सीहोर | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | .. | | (2) .. | .. | |
| 3. इछावर | .. | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | .. | | | | |
| 5. बुधनी | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|----------|--|--|------------------------------|--------------|
| जिला रायसेन : | मिलीमीटर | 2. रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | 211.6 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | 160.8 | | (2) .. | | |
| 3. बेगमगंज | 184.1 | | | | |
| 4. गौहरगंज | 259.0 | | | | |
| 5. बरेली | 149.4 | | | | |
| 6. सिलवानी | 161.4 | | | | |
| 7. बाड़ी | 155.5 | | | | |
| 8. उदयपुरा | 211.0 | | | | |
| जिला बैतूल : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैंसदेही | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोड़ाडोंगरी | .. | | (2) .. | | |
| 3. शाहपुर | .. | | | | |
| 4. चिचोली | .. | | | | |
| 5. बैतूल | .. | | | | |
| 6. मुलताई | .. | | | | |
| 7. आठनेर | .. | | | | |
| 8. आमला | .. | | | | |
| *जिला होशंगाबाद : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. सिवनी-मालवा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. होशंगाबाद | .. | | (2) .. | | |
| 3. बावई | .. | | | | |
| 4. इटारसी | .. | | | | |
| 5. सोहागपुर | .. | | | | |
| 6. पिपरिया | .. | | | | |
| 7. वनखेड़ी | .. | | | | |
| 8. पचमढी | .. | | | | |
| जिला हरदा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | .. | | 4. (1) सोयाबीन. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | .. | | (2) .. | | |
| 3. टिमरनी | .. | | | | |
| जिला जबलपुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोरा | 33.8 | | 4. (1) तिल. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | 102.2 | | (2) .. | | |
| 3. जबलपुर | 58.2 | | | | |
| 4. मझौली | 83.5 | | | | |
| 5. कुण्डम | 94.3 | | | | |
| जिला कटनी : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं धान तिल की बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी | 4.8 | | 4. (1) धान, तिल तुअर, कोदों, मक्का. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी | 3.0 | | (2) .. | | |
| 3. विजयराघवगढ़ | 32.3 | | | | |
| 4. बड़वारा | 12.0 | | | | |
| 5. बहोरीबंद | 34.6 | | | | |
| 6. ढीमरखेड़ा | 25.0 | | | | |
| 7. बरही | 12.0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|----------|---|---|---|------------------------------|
| जिला नरसिंहपुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. गाडरवारा | .. | | | | |
| 2. करेली | .. | | | | |
| 3. नरसिंहपुर | .. | | | | |
| 4. गोटेगांव | .. | | | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | .. | | | | |
| जिला मण्डला : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. निवास | .. | | | | |
| 2. बिछिया | .. | | | | |
| 3. नैनपुर | .. | | | | |
| 4. मण्डला | .. | | | | |
| 5. घुघरी | .. | | | | |
| 6. नारायणगंज | .. | | | | |
| जिला डिण्डोरी : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं सोयाबीन, उड़द, तुअर एवं कोदों-कुटकी व धान की रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | .. | | | | |
| 2. शाहपुरा | .. | | | | |
| जिला छिन्दवाड़ा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान. कम. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | 84.6 | | | | |
| 2. जुन्नारदेव | 92.3 | | | | |
| 3. परासिया | 78.5 | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | 37.0 | | | | |
| 5. सोंसर | 58.8 | | | | |
| 6. पांडुर्णा | 208.0 | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | 127.2 | | | | |
| 8. चौरई | 157.2 | | | | |
| 9. बिछुआ | 119.7 | | | | |
| 10. हरई | 74.8 | | | | |
| 11. मोहखेड़ा | 64.8 | | | | |
| जिला सिवनी : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन सन गन्ना. (2) .. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | 130.6 | | | | |
| 2. केवलारी | 27.2 | | | | |
| 3. लखनादौन | 50.8 | | | | |
| 4. बरघाट | 109.9 | | | | |
| 5. कुरई | 78.0 | | | | |
| 6. घंसौर | 41.1 | | | | |
| 7. घनोरा | 184.8 | | | | |
| 8. छपारा | 78.9 | | | | |
| जिला बालाघाट : | मिलीमीटर | 2. धान की रोपाई का कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | 20.2 | | | | |
| 2. लाँजी | 51.4 | | | | |
| 3. बैहर | 55.0 | | | | |
| 4. वारासिवनी | 24.5 | | | | |
| 5. कटंगी | 38.9 | | | | |
| 6. किरनापुर | .. | | | | |

टीप.— *जिला अशोकनगर, दमोह, खण्डवा, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(581)